i. **<u>प्रशासकीय स्वीकृति</u>**- म.प्र. शासन द्वारा परियोजना को एस.ई.सी.एल. (SECL) के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापित करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति अप्रैल-23 में प्राप्त हुई | म.प्र. शासन से पुनरीक्षित लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु; प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को माह दिसम्बर-24 में प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नुनुसार हैं:-

पुनरीक्षित परियोजना लागत - रू 8258.64 करोड़
राज्य शासन की अंशपूँजी (15%) - रू 1,238.80 करोड़
एस.ई.सी.एल की अंशपूँजी (15%) - रु 1,238.80 करोड़
वित्तीय संस्थानों से ऋण 70% - रू 5,781.04 करोड़

ii. **<u>पर्यावरणीय स्वीकृति</u>**- परियोजना के स्थापना हेतु आवश्यक "पर्यावरणीय स्वीकृति", पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार से माह मई'23 में प्राप्त की गई है । तद्पश्चात,पर्यावरणीय स्वीकृति के वांछित बिंदुओं पर संशोधन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

iii. **<u>जल उपलब्धता</u>**- जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा परियोजना हेतु मार्च' 2023 में वांछित 17.34 मि.घ.मी. जल आवंटन प्रदान किया । जल संसाधन विभाग द्वारा बैराज निर्माण हेतु डी.पी.आर. माह अप्रैल'25 में प्रस्तुत की; जिसमें अनुमानित लागत रु 243.16 करोड़ आंकी गई है |

iv. **<u>कोयले की उपलब्धता</u>**- एस.ई.सी.एल. से 2.824 मि.टन प्रति वर्ष का पुनरीक्षित "एल.ओ.ए.", माह अगस्त 2023 में प्राप्त किया गया ।

v. **<u>भूमि की उपलब्धता</u>**- परियोजना की स्थापना हेतु वांछित 96.458 हेकटेयर भूमि में से 90.287 हेकटेयर भूमि, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. के स्वामित्व में उपलब्ध है एवं वन विभाग की 6.171 हेकटेयर भूमि म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. के परिसर में स्थित है । उक्त वन भूमि के हस्तांतरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भोपाल द्वारा "Stage-I Forest Clearance" माह अप्रैल-25 में जारी किया गया ।

vi. **<u>निविदा (ई.पी.सी.) की वर्तमान स्थिति</u>** - ई.पी.सी. कांट्रेक्टर की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, कार्यादेश शीघ्र प्रसारित किया जाना संभावित है ।

vii. **<u>SECL के साथ संयुक्त उपक्रम</u>** - एस.ई.सी.एल. के साथ संयुक्त उपक्रम कम्पनी के गठन की व्यवहार्यता में कठिनाइयों के द्रष्टिगत; ऊर्जा विभाग द्वारा पत्र दिनांक 19 फ़रवरी-2025 के माध्यम से विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार, से संयुक्त उपक्रम के निर्णय से बाहर निकलने हेतु म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. को सहमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

viii. **<u>पी.पी.ए</u>**.- ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन ने 31 मई 2024 को आगामी इकाई के लिए विद्युत् क्रय के संबंध में पी.पी.ए. के निष्पादन हेतु म.प्र.पॉ. मैनेजमेंट कं. लि. को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

ix. **<u>शासन से अंशपूंजी</u>** - म.प्र. शासन से आज की स्थिति में कुल रु. 145 करोड़ की अंशपूँजी प्राप्त की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में रु 220 करोड़ की अंशपूंजी आवंटित की गये है, जिसके आहरण हेतु प्रस्ताव अप्रैल-25 में ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत किया गया है ।

x. **<u>वित्तीय संस्थानों से ऋण</u>**- मेसर्स पॉवर फायनेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली एवं मेसर्स आर.ई.सी., भोपाल से ऋण के संबंध में स्वीकृति पत्र माह सितम्बर'23 में प्राप्त हुआ । स्वीकृत ऋण राशि पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. के मध्य 50:50 के अनुपात में साझा की जावेगी ।

xi. **<u>वाणिज्यिक उत्पादन</u>**- प्रस्तावित इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन वित्तीय वर्ष 2030-31 में संभावित है ।